

संचिका संख्या-4/M.W-40-48/2023 श्र०सं०.....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

गणेश कुमार झा,  
सहायक श्रमायुक्त-सह-  
उप निबंधक (श्रमिक संघ), बिहार।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- न्यूनतम मजदूरी दर के विज्ञापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभिन्न कोटियों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दर से संबंधित आवश्यक सूचना कि प्रकाशन हेतु सामग्री की प्रति हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सलंग्न करते हुए अनुरोध है कि तत्संबंधी रंगीन विज्ञापन हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(गणेश कुमार झा)

सहायक श्रमायुक्त-सह-

उप निबंधक (श्रमिक संघ), बिहार।

ज्ञापांक-4/M.W-40-48/2023 श्र०सं०- 3051 पटना, दिनांक- 01/06/26


प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, e-advertisement Portal, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०-सी०डी०सहित।

  
01/06/26

सहायक श्रमायुक्त-सह-

उप निबंधक (श्रमिक संघ), बिहार।



बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

## न्यूनतम मजदूरी

सभी नियोजकों को सरकार द्वारा नियत की गयी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उन्हें 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

सभी प्रकार के नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर



क्रम संख्या

कामगारों की कोटि

दिनांक - 01.04.2026 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें

1.

अकुशल

₹ 436.00 प्रतिदिन

2.

अर्द्धकुशल

₹ 452.00 प्रतिदिन

3.


कुशल

₹ 551.00 प्रतिदिन

4.

अतिकुशल

₹ 672.00 प्रतिदिन



न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर दोषी नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोट - न्यूनतम मजदूरी के संबंध में अधिक जानकारी विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/labour/> के Minimum Wage Section से प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार के शिकायत और समाधान हेतु संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक से संपर्क करें।